बिहार शिक्षा परियोजना जलवीय नगर, महादेवा, सिवान – 841226 पत्रांक 894



Bihar Education Project Malviya Nagar, Mahadewa Siwan – 841226 Dated: 16./.2014.

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

इंडर्) पव्लिन्ड स्कुल् इंडन्गर, खराषुर, हार्णिमा स्रानान

विषयः बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन—पत्र दिनांक— <u>9-11-2011</u>—और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय <u>इं.इ.स. प्राटिल</u>क <u>रक्त</u> <u>इं.स. प्राटिल</u>क <u>रक्त</u> <u>इं.स. प्राटिल</u>क <u>रक्त</u> <u>किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय <u>इं.इ.स. प्राटिल</u>क <u>रक्त</u> <u>इं.स. इं.स. इं.</u></u>

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता—पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अविध के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगेः

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक,

बिहार शिक्षा परियोजना मालवीय नगर, महादेवा, सिवान - 841226 पत्रांक.....



Bihar Education Project Malviya Nagar, Mahadewa Siwan - 841226 Dated:..../..../

जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं लेंगे।	धारित करतें है, वे 5 वर्षों के अंदर	निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर
V11. शिक्षक अधिनियम की धारा 24	की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों	

viji. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः – विद्यालय – परिसर का क्षेत्रफल; कुल निर्मित क्षेत्र;

र्खेल के मैदान का क्षेत्र; 8149 ड्यू- स्टिन

वर्गकक्षों की कुल संख्या;\$2.....

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष.....2..... बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय; अधिकतथा अर्थान मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;

बाधारहित पहुँच; शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय;र्ही:

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रिजस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या—<u>RTE/SWN/2014-15/001D</u> इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड की कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समाय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शत्तों के लमातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तो।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान मं इ.इ. की उपयोग । ने जेनके लिए निवारित न्यून्तम कोचाता के प्रतियम के जान होने के समय वर्तमान ने कर्यारत हैसे सभी विकास

सिवान।

Bihar Education Project Mahadewa, (Near O.P. Thana) Siwan – 841 227



बिहार शिक्षा परियोजना महादेवा, (ओ०पी० थाना के निकट) सीवान – 841 227

दिनांक : 13-01-18

शेवा में.

पत्रांक : 90

प्राचार्य, (प्रस्वी क्रिकिटिएमा ०। स्रे 122 मर्क) इकरा पहिलक स्कूल इंड्नेगर, सुरापुर जिला-शीवान।

विषय:- प्रश्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के अविध विस्तार के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषयक के शंबंध में कहना है कि दिनांक 11.01.2018 को निजी विद्यालय के प्रस्वीकृति शमिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में तत्काल भूतलक्षित प्रभाव से 31 मार्च 2018 तक आपके विद्यालय का औपबंधिक अविध विस्तार किया जाता है। विद्यालय शंचालन एवं अन्य शेवा शर्त पूर्ववत् रहेगा।

विश्वासभाजन्

(समर बहादूर सिंह) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रा०शि० पुवं सर्व शिक्षा अभियान सीवान



शिक्षा विभाग Education Department Right to Education Online School Affiliation

Download and Print	Application Form	
Status Of Application	Inspect school Pl	t(DEO) to Block BEO ysically and check all required report as soon as possible

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved Education Department Bihar